आदेश

हाईकोर्ट ने निरस्त किया चीफ इंजीनियर का प्रभार

अपनी जांच की निगरानी कैसे कर सकता है दागी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में नियमों को ताक पर रखकर दागी अधिकारियों को बड़ा प्रभार सौंपने की प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर) के पद से जुड़े एक विवादित प्रशासनिक आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के जिस दफ्तर को दागी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी दफ्तर की कमान उसे सौंप दी गई। यह प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे भोपाल ब्रिज जोन के मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार किसी ऐसे योग्य अधिकारी को सौंपें जिसका सेवा रिकॉर्ड पूरी तरह निष्कलंक हो और जो पदोन्नति की पात्रता श्रेणी में आता हो। राज्य के मुख्य सचिव और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव को आवश्यक अनुपालन और भविष्य में ऐसी गड़बडियों को रोकने के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं।

यह है मामला

मामला पीडब्ल्यूडी के प्रभारी मुख्य अभियंता पीसी वर्मा से जुड़ा है। उन्हें जुलाई 2025 में मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी ब्रिज जोन भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद 29 अप्रैल 2026 को विभाग ने उन्हें निविदा मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस नोटिस के जारी होने के महज तीन घंटे के भीतर ही विभाग ने एक नया आदेश जारी कर पीसी वर्मा से अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया। यही नहीं, यह प्रभार भोपाल जोन के मुख्य अभियंता का कार्यभार संभाल रहे एक अन्य अधिकारी को सौंप दिया गया, जिनके खिलाफ पहले से ही गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और पुल ढहने के मामलों में जांच लंबित है। विभाग के इसी आदेश को पीसी वर्मा ने हाईकोर्ट में संजय कुमार मस्के के प्रभार को चुनौती दी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई दौरान राज्य सरकार की इस कार्रवाई को पूर्वाग्रह से ग्रसित और दुर्भावनापूर्ण माना। न्यायालय ने इस बात पर गहरी नाराजगी जताई कि जिस अधिकारी को नया प्रभार सौंपा गया, उसके खिलाफ सिवनी में वैनगंगा नदी पर बने सबमर्सिबल पुल के ढहने और ग्वालियर में 1000 बिस्तर के अस्पताल प्रोजेक्ट में करीब 2.41 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय गबन के गंभीर आरोप हैं। न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी के भर्ती व सेवा नियम 1983 का हवाला देते हुए इस बात पर भी चिंता जताई कि जोन ऑफ कंसीडरेशन से बाहर के जूनियर अधिकारियों को पिछले दरवाजे से उच्च पदों के प्रभार बांटे जा रहे हैं, जिससे विभाग का पूरा प्रशासनिक ढांचा और वरिष्ठता क्रम प्रभावित हो रहा है।

भूमि मुआवजा प्रकरण में हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा से जुड़े मामले में सक्षम प्राधिकारी को समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता रायसेन निवासी मोहम्मद असलम की ओर से ग्राम नीमखेड़ा पटवारी हल्का क्रमांक 39, तहसील एवं जिला रायसेन स्थित खसरा नंबरों की अधिग्रहित भूमि के एवज में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की अनुसूची के अनुसार 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि पूर्व में दायर रिट याचिका दायर की गई थी। जिसका निराकरण 5 फरवरी 2025 को करते हुए सक्षम प्राधिकारी को विधि अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, किंतु आदेश के बावजूद अब तक अनुपालन लंबित है।

वृद्धाश्रम में बुजुर्ग पलंग से गिरा, मौत

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर स्थित ओल्ड रोज होम वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग को झटके आए थे, जिसके चलते वह बेड से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उपचार के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, पंकज कोरी (63) पिछले कुछ समय से शास्त्रीनगर तिलवारा स्थित ओल्ड रोज होम वृद्धाश्रम में रह रहे थे। अचानक उन्हें शारीरिक झटके आने शुरू हो गए। झटके इतने तेज थे कि वह अपने पलंग पर संतुलन खो बैठे और अनियंत्रित होकर सीधे फर्श पर गिर पड़े। गिरने की वजह से उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। वृद्धाश्रम में चीख-पुकार मचने के बाद केयर टेकर दिनेश कुशवाहा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल बुजुर्ग पंकज कोरी को संभाला और इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के दौरान पंकज कोरी की मौत हो गई। अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर तिलवारा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

हाइवा ने बाइक को 500 मीटर तक घसीटा, लगी आग

पिता-पुत्र की मौत, पत्नी गंभीर

जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत झंडू कंपनी फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार बेकाबू हाइवा ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक हाइवा के अगले हिस्से में फंस गई, जिसे चालक करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटता हुआ ले गया। तेज रगड़ खाने के कारण बाइक में भीषण आग लग गई। इस खौफनाक हादसे में बाइक चालक और उसके 5 वर्षीय मासूम बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है।

बरगी थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि सगड़ा, चरगवां निवासी छोटेलाल पिता भागचंद उइके 35 वर्ष अपनी पत्नी अर्चना उइके और 5 साल के मासूम बेटे के साथ मोटरसाइकिल से बरेला गए थे। वहां से लौटते समय परिवार जब झंडू कंपनी के पास फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी तिलवारा की तरफ से आ रहे हाइवा क्रमांक एमपी 34 जेड एफ 6543 के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को सामने से टक्कर मारी। हादसे के बाद चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय भागने की कोशिश की, जिससे बाइक हाइवा के नीचे फंसकर करीब आधा किलोमीटर तक घिसटती चली गई। सड़क पर लोहे की रगड़ से निकली चिंगारियों ने पल भर में विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई।

इस खौफनाक मंजर के बीच छोटेलाल और उनके 5 वर्षीय बेटे को संभलने का मौका भी नहीं मिला और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल पत्नी को राहगीरों और पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हाइवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

FIR की जगह प्रारंभिक जांच, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने गोरखपुर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली एक महत्वपूर्ण याचिका पर राज्य शासन सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उसके स्थान पर प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता वंदना श्रोती की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को बताया कि 19 फरवरी 2026 को गोरखपुर थाने में प्रस्तुत शिकायत में संज्ञेय अपराध के स्पष्ट तथ्य होने के बावजूद थाना प्रभारी नितिन कमल ने एफआईआर दर्ज नहीं की। याचिका के अनुसार बीएनएसएस की धारा 173(3) का सहारा लेकर प्रारंभिक जांच और अन्य कार्यवाही तो शुरू कर दी गई, लेकिन विधिसम्मत अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया।

याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायत को जनरल डायरी में दर्ज कर उसका क्रमांक तक शिकायतकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि हाईकोर्ट पूर्व में अपने एक फैसले में स्पष्ट कर चुका है कि प्रत्येक शिकायत की जनरल डायरी में प्रविष्टि कर उसका नंबर शिकायतकर्ता को देना अनिवार्य है। साथ ही लंबित शिकायतों की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक की मानी गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चर्चित ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश शासन प्रकरण का भी उल्लेख किया गया, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना पुलिस का बाध्यकारी कर्तव्य है और ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि संबंधित थाना प्रभारी बार-बार एफआईआर दर्ज करने से बचते रहे हैं तथा वैधानिक प्रविधानों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

शिव मंदिर में शिवलिंग के पीछे बैठा था सांप

जबलपुर। माढ़ोताल थानांतर्गत ग्रीन सिटी निवासी नारायण प्रसाद दुबे के निवास पर बने शिव मंदिर में दोपहर तीन बजे एक चार फीट लंबा सांप सड़क मार्ग से रेंगते हुए मंदिर में बने शिव लिंग के पीछे बैठ गया। सांप को देखकर वहां अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे ने रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर प्राकृतिक रहवास देवताल तालाब में छोड़ दिया। पकड़ा गया सांप पन्हियल प्रजाति का है। ये सर्प जहरीला नहीं होता है। लेकिन गुस्सैल और आक्रामक होता है। किंतु जब तक छेड़छाड़ ना की जाए तब तक सर्प नुकसान नहीं पहुंचाते। सर्प के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली।

जांच के पहले क्रूज को नष्ट करने वाले अधिकारियों पर दर्ज हो प्रकरण

जस्टिस संजय द्विवेदी को सौंपी गई रिपोर्ट

नवभारत, जबलपुर। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना मामले में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मंच के प्रतिनिधि डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने यह प्रतिवेदन एकल सदस्य जांच आयोग के जस्टिस संजय द्विवेदी के समक्ष पेश किया है।

इस रिपोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा गया कि संबंधित अधिकारियों ने जांच पूरी होने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को नष्ट कर दिया। क्रूज को डिस्मेंटल करने के कारण उसकी फिटनेस एवं क्षमता का आंकलन नहीं किया जा सका है। इंलैड बैसल्लस एक्ट 2021 के धारा 74(5) के तहत क्रूज में तोड़फोड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। संबंधित अधिकारियों ने यह कदम जानबूझकर उठाया ताकि कमियों को उजागर किया न जा सके। अत: जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। वहीं जस्टिस संजय द्विवेदी ने आश्वस्त किया कि प्रस्तुत प्रतिवेदन को रिकार्ड में लेकर उनके सभी बिन्दुओं पर जांच की जाएगी।

जोन निश्चित किए बगैर चल रहा था क्रूज

डॉ. पी.जी. नाजपांडे ने ये भी प्रस्तुत किया कि सर्व सर्टिफिकेट तथा लहरों की ऊँचाई पर तय किये गये जोन का सर्टिफिकेट होना क्रूज संचालन में अनिवार्य और बाध्यकारी है, लेकिन बरगी डेम में ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं हुआ। जलाशय में लहरों की ऊँचाई के आधार पर जोन 1 जोन 2 तथा जोन 3 बनाये जाते है। लेकिन बरगी जलाशय किस जोन में आता है इस बारे में कोई भी निश्चितता नहीं बतायी गई है और एस.ओ.पी. बना दिया गया। क्रूज की श्रेणी, उसकी डिजाईन, फिटनेस को ध्यान में न रखते हुए वर्तमान एस.ओ.पी. बनायीं गई थी। ऐसे त्रुटिपूर्ण एस.ओ.पी. के कारण ही क्रूज दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यहाँ संबंधित अधिकारियों एवं क्रूज कैप्टन की नाकामी के कारण हुआ है।

पमरे : 1583 करोड़ से अधिक का ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू किया अर्जित

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेल में वाणिज्य परिचालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप पश्चिम मध्य रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष के दो माह में रूपये 1583 करोड़ 43 लाख का कुल प्राम्भिक राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी माह (रूपये 1520 करोड़ 70 लाख) कि तुलना में 4.13 प्रतिशत अधिक है। जिसमें यात्री यातायात से रुपये 456 करोड़ 95 लाख, माल यातायात से रुपये 1039 करोड़ 02 लाख, अन्य कोचिंग मद में रुपये 33 करोड़ 48 लाख एवं विविध आय यानि संड़ी से रुपये 53 करोड 98 लाख का रेलवे ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू शामिल है। यदि मण्डल वाइस बात करें तो दो माह में जबलपुर मण्डल ने रूपये 969 करोड़ 31 लाख, भोपाल मण्डल ने 350 करोड़ 30 लाख एवं कोटा मण्डल ने रूपये 263 करोड़ 82 लाख का कुल ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया है।

कक्षा 5वीं और 8वीं की पुन : परीक्षा आज से

परीक्षा केन्द्र पर ही ऑन स्पॉट प्रिंट होंगे प्रश्न पत्र

जबलपुर। वर्ष 2025-26 की कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुन: परीक्षा 16 जून से शुरू हो रही है। यह 23 जून तक चलेगी। इस परीक्षा में सत्र 2025-26 की मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

उल्लेखनीय है कि शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं और पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों की पुन:परीक्षा सत्र 2025-26 का आयोजन 16 से 23 जून 2026 की अवधि में किया जाएगा। पुन:परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रश्नपत्रों की ऑन स्पॉट प्रिंटिंग परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा की जाएगी। परीक्षा पोर्टल से प्रश्नपत्रों को डाउनलोड एवं प्रिंट करने के लिए जिला परियोजना समन्वयक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। परीक्षाओं के निर्बाध संचालन के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देश पर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर न्यूनतम 02 कम्प्यूटर/लैपटॉप, 02 कार्यशील प्रिंटर, इंटरनेट, पर्याप्त ए-4 साईज पेपर, टोनर की उपलब्धता एवं सुगम विद्युत व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

अत्याधिक वजन के कारण बीच में अटकी लिफ्ट

जबलपुर, नवभारत। मदन महल रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी इलेक्ट्रिक लिफ्ट अचानक बीच रास्ते में जाम हो गई। गाड़ी संख्या 12854 अमरकंटक एक्सप्रेस से उतरे लगभग 17 यात्री एक नंबर की दूसरी तरफ जाने के लिए रविवार रात में इस लिफ्ट में सवार हुए थे। क्षमता से अधिक यात्री और भारी सामान होने के कारण लिफ्ट ऊपर नहीं पहुंच पाई और फंस गई। लिफ्ट के भीतर लगभग डेढ़ दर्जन लोग पूरे 18 मिनट तक फंसे रहे जिसमें एक ढाई साल का मासूम बच्चा भी शामिल था। यात्रियों की पुकार सुनकर आरपीएफ के एएसआई विजय बहादुर सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और मुख्य रेलवे स्टेशन से लिफ्ट मैकेनिक शिवा को बुलाया जिसने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात को अमरकंटक एक्सप्रेस के आते ही यात्रियों में बाहर निकलने की होड़ मच गई। इसी जल्दबाजी में क्षमता से कहीं अधिक यात्री अपने भारी-भरकम सामान के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 की लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ी वह अत्यधिक वजन के कारण बीच रास्ते में ही पूरी तरह लॉक हो गई। लिफ्ट के बंद होने से उसके अंदर हवा की कमी होने लगी और यात्री घबराने लगे। स्टेशन पर ओवरलोडिंग को रोकने के लिए वहां कोई रेल कर्मी या सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था जिससे यह विकट स्थिति निर्मित हुई। रात 9:40 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे 20 मिनट यात्री बंद लिफ्ट के अंदर घुटने वाले माहौल में कैद रहे। घबराहट के कारण जब अंदर से बच्चों और महिलाओं के रोने-चीखने की आवाजें आने लगीं तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आरपीएफ आउट पोस्ट के एएसआई विजय बहादुर सिंह ने बिना वक्त गंवाए तुरंत मोर्चा संभाला और राहत कार्य शुरू कराया। उन्होंने पीड़ित यात्रियों को लगातार ढांढस बंधाया और बाहर से बातचीत कर उनका हौसला बनाए रखा ताकि ऑक्सीजन की कमी से अंदर कोई बेहोश न हो।

सिवनी टोला और धनपुरी के आदान विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित

जबलपुर। चरगवां रोड सिवनी टोला स्थित मेसर्स माँ कृपा कृषि केंद्र तथा निवास रोड धनपुरी स्थित मेसर्स कृषि उद्यम का लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

उप संचालक कृषि उमेश कुमार कटहरे ने बताया कि चरगवां रोड सिवनी टोला स्थित मेसर्स माँ कृपा कृषि केंद्र प्रोपराईटर का 11 जून को संभाग स्तरीय गठित जांच दल द्वारा छापा मारा गया था। इस दौरान प्रतिष्ठान बंद पाये जाने पर संचालक से दूरभाष पर संपर्क किया गया। दूरभाष पर संपर्क न होने पर 13 जून को पुन: निरीक्षण के लिए नोटिस चस्पा किया गया। परंतु इस दिन भी निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान बंद पाया गया और निरीक्षण नही किया जा सका। उप संचालक कृषि ने बताया कि निरीक्षण दल की अनुशंसा पर मेसर्स माँ कृपा कृषि केंद्र का बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकार निवास रोड धनपुरी स्थित मेसर्स कृषि उद्यम का अनुविभागीय स्तरीय गठित दल द्वारा 13 जून को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस प्रतिष्ठान द्वारा बीज लायसेंस में बिना कंपनी की अनुमति जोडे धान के बीज का विक्रय किया जा रहा था।

प्रोजेक्ट

1 मिनट में 600 राउंड फायर, 37 किमी तक दागे जा सकेंगे गोले, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को ढेर कर बदल सकेंगे लोकेशन

दुश्मनों को नेस्तनाबूत करने बढ़ेगी सेना की ताकत

जबलपुर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जिसके तहत डिफेंस सिस्टम में दुश्मनों के ड्रोन और हवाई जहाजों को मार गिराने की अचूक क्षमता के साथ सेना की ताकत बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत दो महाविनाशक हथियारों पर काम चल है। सूत्रों के मुताबिक जिन गनों पर तेजी से काम चल रहा है उसमें व्हीकल माउंटेड गन, एयर ड्रोन डिफेंस गन शामिल है। व्हीकल माउंटेड गन ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया है। एयर ड्रोन डिफेंस गन ड्रोन्स, हवाई हमलों के खतरे से निपटने के लिए बनाई जा रही यह स्पेशल गन पर भी काम तेजी से चल रहा है। आधुनिक गनों के मिलने के बाद सेना दुश्मनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ ड्रोन और लड़ाकू विमानों को ढेर कर अपनी लोकेशन बदल सकती है। आधुनिक गन 1 मिनट में 600 राउंड फायर, करने के साथ 37 किमी तक गोले दाग सकती है। हालांकि अचूक क्षमता रखने वाली गन का काम पूरी तरह तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा।

सूत्र बताते है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन प्रोजेक्ट पर काम की जरूरत महसूस हुई थी। जिसके चलते आधुनिक युद्ध में ड्रोन्स के बढ़ते खतरों को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। सेना के लिए बन रहा नया एयर डिफेंस सिस्टम जब तैयार होगा तो ये ड्रोन और लड़ाकू विमानों के लिए काल बनेगा। गन कैरिज फैक्ट्री में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आवश्यकताओं को देखते हुए दुश्मनों के ठिकानों, ड्रोन और हवाई हमलों को नेस्तनाबूद कर दोनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर ने बदली रणनीति

सूत्रों के मुताबिक मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष (ऑपरेशन सिंदूर) के बाद देश की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए देश की सुरक्षा, ताकत और बढ़ाई जा रही है। युद्ध के बदलते तौर-तरीकों, खासकर ड्रोन और हवाई हमलों के बढ़ते खतरों को देखते हुए ही व्हीकल माउंटेड, एयर ड्रोन डिफेंस गन की जरूरत काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। जिसके चलते दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है।

व्हीकल माउंटेड गन की विशेषताएं

- गोला-बारूद लोड करने की प्रक्रिया ऑटोमैटिक।
- एक गोला 37 किमी तक दागा जा सकता है।
- बहुत ही कम समय में कई गोले दागते है।
- 1 मिनट में 600 राउंड फायर करने की क्षमता।
- भारतीय सेना का मुख्य रक्षा कवच बनेंगे।

एयर ड्रोन डिफेंस गन

- अपनी लोकेशन बदल सकती है।
- फायर के तुरंत बाद आसानी से ठिकाना बदला जा सकता है।
- दुश्मन के जवाबी हमले से सुरक्षा।
- हवा में ही ड्रोन के परखच्चे उड़ा सकती हैं।

दुश्मनों के ड्रोन और लड़ाकू विमानों को हवा में ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता होगी।

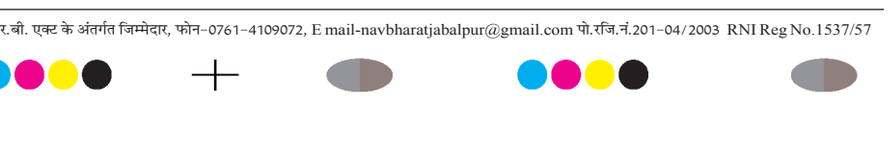

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57